सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

22 श्रावण, 1940 (श०)

संख्या- 821 राँची, सोमवार 13 अगस्त, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

9 अगस्त, 2018

संख्या-5/आरोप-1-28/2015-1442 (HRMS)-- श्री उदयकांत पाठक, तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, धनबाद, सम्प्रति-निलंबित के विरुद्ध सरकार द्वारा निम्नवत निर्णय लिए गए है:

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	UDAYKANT PATHAK BHR/BAS/2541	श्री उदयकान्त पाठक, झा०प्र०से०, तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, धनबाद, संप्रति-निलंबित को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण, एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(x) के तहत सरकारी सेवा से मुक्त किया जाता है ।

<u>विवरण:</u>

उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक-1118, दिनांक 17 जून, 2015 द्वारा श्री उदयकांत पाठक, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-579/03, गृह जिला- खगड़िया), सम्प्रति- निलंबित, तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, धनबाद के विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रपत्र-'क' में गठित कर उपलब्ध कराया गया-

"झरिया पुनर्वास प्राधिकार, धनबाद के पत्रांक-226, दिनांक 2 जून, 2010 द्वारा मौजा-तिलाटांड़, थाना-बाघमारा, थाना संख्या-213 में 59.4 एकड़ भूमि अर्जित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ । दिनांक 27 जुलाई, 2011 को भू-अर्जन हेतु अधिसूचना पर तत्कालीन उपायुक्त का अनुमोदन प्राप्त किया गया है । दिनांक 19 सितम्बर, 2011 को अधिनियम की धारा-6 के तहत् अनुमोदन प्राप्त किया गया एवं दिनांक 15 अक्टूबर, 2011 को धारा-7 की स्वीकृति प्राप्त की गयी । दिनांक 10 मई, 2013 एवं दिनांक 6 जुलाई, 2013 को आरोपित पदाधिकारी द्वारा 15 रैयतों के बीच 20 करोड़ से भी अधिक राशि का भुगतान करने का आदेश दिया गया । उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत मामले में रैयतों को मुआवजा भुगतान करने हेतु सक्षम प्राधिकार से दर निर्धारित नहीं करायी गयी है । साथ ही, राजस्व विभाग के पत्रांक-854, दिनांक 15 दिसम्बर, 2012 में जे०आर०डी०ए० से संबंधित मामलों में विशेष परिस्थिति में भू-अर्जन अधिनियम की धारा-11(2) तथा झारखण्ड स्वैच्छिक भू-अर्जन नियमावली, 2010 के अन्तर्गत नियमावली की कंडिका-3(क) के तहत् निर्धारित अवधि के अन्दर प्रभावित रैयतों से सहमति पत्र प्राप्त कर उचित मुआवजा भुगतान करते हुए दखल कब्जा प्राप्त करने संबंधी निदेशों का अनुपालन नहीं किया गया है । भुगतान की कार्रवाई दिनांक 6 जुलाई, 2013 को की गयी और उसके उपरान्त पंचाट की घोषणा नहीं होने से अभिलेख को व्ययगत घोषित कर दिया गया । स्पष्ट है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा गलत मंशा से भुगतान की कार्रवाई की गयी । इसमें 11 रैयतों को जोरापोखर पैक्स के माध्यम से राशि की भुगतान करायी गयी । भूमि का बगैर दखल प्राप्त किये राशि का भुगतान किया गया । धनसार से संबंधित रैयतों को भुगतान की गयी राशि बिचौलिये द्वारा निकाल ली गयी ।"

2. उक्त आरोपों पर विभागीय पत्रांक-6465, दिनांक 21 जुलाई, 2015 द्वारा श्री पाठक से स्पष्टीकरण की माँग की गयी ।

3. विषयगत मामले में श्री पाठक के विरूद्ध दर्ज धनबाद थाना कांड सं०-657/2015 में इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के कारण विभागीय आदेश सं०-9688, दिनांक 5 नवम्बर, 2015 द्वारा दिनांक 30 सितम्बर, 2015 के प्रभाव से निलंबित किया गया ।

4. उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक-1395/गो०, दिनांक 14 नवम्बर, 2016 द्वारा श्री पाठक के दिनांक 29 अक्टूबर, 2016 को हिरासत से मुक्त होने की सूचना दी गयी ।

5. श्री पाठक के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की गंभीरता के आलोक में विभागीय आदेश सं०-1774, दिनांक 28 फरवरी, 2017 द्वारा इन्हें योगदान दिये जाने की तिथि 12 नवम्बर, 2016 के प्रभाव से पुनः निलंबित किया गया ।

6. विभागीय पत्रांक-3875, दिनांक 23 मार्च, 2017 द्वारा इन्हें स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु स्मारित किया गया ।

7. इनका स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने पर मामले के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-5975, दिनांक 5 मई, 2017 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।

8. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-260, दिनांक 1 सितम्बर, 2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच-प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें आरोपों को प्रमाणित पाया गया ।

9. इनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, बचाव-बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक-851, दिनांक 1 फरवरी, 2018 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक नियमावली, 2016 के नियम-14(x) के तहत् सेवा से मुक्त करने के बिन्दु पर श्री पाठक से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी तथा विभागीय पत्रांक-2246, दिनांक 3 अप्रैल, 2018 द्वारा स्मारित किया गया ।

10. श्री पाठक के पत्र, दिनांक 6 अप्रैल, 2018 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया, जिसकी समीक्षा में पाया गया कि इन्होंने कोई ऐसा तथ्य नहीं दिया है, जिसके आधार पर इन्हें दोषमुक्त किया जा सके । अतः झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(x) के तहत् सेवा से मुक्त करने का निर्णय लिया गया ।

11. विभागीय पत्रांक-3643, दिनांक 28 मई, 2018 द्वारा झारखण्ड, लोक सेवा आयोग, झारखण्ड राँची से उक्त निर्णय पर सहमति हेतु अनुरोध किया गया, जिसके आलोक में आयोग के पत्रांक-1671, दिनांक 16 जुलाई, 2018 द्वारा सहमति संसूचित की गयी ।

12. तत्पश्चात, श्री पाठक को सरकारी सेवा से मुक्त किये जाने के प्रस्ताव पर दिनांक 7 अगस्त, 2018 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में स्वीकृति दी गयी ।

13. अतः श्री पाठक को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(x) के तहत् सरकारी सेवा से मुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सतीश कुमार जायसवाल,
सरकार के उप सचिव
जीपीएफ संख्या:ROH/RVP/1007

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 821 -- 50